न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

[redacted]सीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राज[redacted]विविध प्रकरण GCMS No : 2022 / 284

दायरा [redacted]थि : 29.07.2022

फैसला तिथि : 30-08-2022

प्रार्थी:–

सुखराज उर्फ सकीया पुत्र श्री खीमाराम जाति मेघवंशी
निवासी रामदेव मोहल्ला, कोटबालियान बाली तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री संदीप शर्मा .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 30-08-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम कोटवालियान तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 877 कुल खसरा 15 कुल रकबा 8.3700 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सकीया पुत्र खीमा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सुखराज पुत्र खीमाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **सकीया पुत्र खीमा** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, सैकण्डी स्कूल परीक्षा 1991 प्रमाणपत्र, उच्च माध्यमिक(अकादमिक) परीक्षा, 1993 अंकतालिका के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **सुखराज पुत्र खीमाराम** दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम सकीया पुत्र खीमा** के स्थान पर **सुखराज पुत्र खीमाराम** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **सुखराज पुत्र खीमाराम** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, सैकण्डी स्कूल परीक्षा 1991 प्रमाणपत्र, उच्च माध्यमिक(अकादमिक) परीक्षा, 1993 अंकतालिका की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **सकीया पुत्र खीमा** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कोटबालियान तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 877 कुल खसरा 15 कुल रकबा 8.3700 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सकीया पुत्र खीमा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम सुखराज पुत्र खीमाराम शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 30-08-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner